

**राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर**  
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित माधव विलास पैलेस  
आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)  
(रसायनशाला)

**विस्तृत ई-निविदा सूचना**

1. संस्थान रसायनशाला के उपयोग हेतु (संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों एवं खनिज-औषधियाँ (आयुर्वेदिक) क्रय की जानी है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी। जमा धरोहर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

क्र.स.	नाम वस्तु	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2प्रतिशत	निविदा प्रपत्र का मूल्य (गैर वापसी योग्य)
1.	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	Rs. 18Laks	Rs.36000/-	₹.1500/- डी.डी

2. निविदा का फार्म एवं निविदा की शर्तें ऑनलाईन (On-line) ई-निविदा (e-Tender) पर उपलब्ध होगी :-

क्र.सं.	निविदा संख्या 02/2020-2021	कच्ची औषधियाँ
क	निविदा प्रपत्र डाउनलोड की प्रारम्भ एवं अन्तिम तिथि एवं समय निम्न वेबसाइटों पर उपलब्ध रहेगा। ( <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> )	From Date :- 22-7-2020 Time 4.00PM up to 17-8-2020 Time 2:00 PM
ख	निविदा ऑनलाईन (On-line) भरने की अन्तिम तिथि एवं समय (वेबसाइट <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> पर होगी)	Date:- 17-8-2020 Time :- 3.00PM
ग	निविदा के औषध नमूने (शर्तों के अनुसार) एवं धरोहर राशि का डी.डी. एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी. डी. इत्यादि (शर्तों के अनुसार) संस्थान में जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय :-	Date :- 17-8-2020 Time :- 5.00PM
घ	प्री बिड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :-	Date :- 30-7-2020 Time :-3PM Place:- NIA, Jaipur
ङ	टेक्नीकल बिड के खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :-	Date :- 18-8-2020 Time :-3PM Place:- Committee Room

- 3.

निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाईनेन्सियल बिड सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी। डाउनलोड करके ऑन लाईन प्रस्तुत की गई निविदा का निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं सेम्पल टर्नओवर, कार्य अनुभव, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा शुल्क व धरोहर राशि का डी.डी. एवं सेम्पल टर्नओवर, कार्य अनुभव, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज दिनांक 17.8.2020 को सांय 5:00 PM बजे तक कार्यालय में भौतिकरूप से उपस्थित होकर जमा करवाने होंगे।

4. सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सीलड नमूने पृथक्-पृथक् से सीलड पैकेट/कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य है। तथा पैकेट/कार्टून पर “ **Tender for Raw drugs for Rasayanashala, NIA, for year 2020-21**” लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें। डाउनलोड टेक्नीकल बिड व सीलड सेम्पल दिनांक **18.8.2020** को सांय: **3:00 PM** बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी एवं सफल निविदादाताओं की फाईनेन्सियल बिड बाद में खोली जावेगी, जिसकी सूचना निविदादाताओं को पृथक् से दे दी जावेगी।  
**नोट:-** पूर्व में आमंत्रित निविदा संख्या 01/2020-21 में शामिल निविदाकर्ताओं को भी इस निविदा के लिए सीलड नमूने देना अनिवार्य है।
5. जो निविदाकार ई-निविदा में भाग लेना चाहते हैं, वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर ऑन-लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि इन्टरनेट जाम की स्थिति से बचने के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय की प्रतीक्षा नहीं करें यथा सम्भव निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।
6. निविदा शुल्क व धरोहर राशि “निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के नाम बैंक ड्राफ्ट में जमा करानी होगी। धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान कोई विचार नहीं करेगा।
7. निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदादाताओं को 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा।
8. स्वीकृत निविदादाता को आदेशित मुल्य की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की जमा धरोहर राशि सिक्क्यूरिटी राशि में समायोजित की जा सकेगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्क्यूरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
9. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर सिक्क्यूरिटी राशि लौटाई जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा सिक्क्यूरिटी राशि को जब्त कर लिया जावेगा । निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता की धरोहर/सिक्क्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा एवं इससे भी शर्त के उल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति नहीं होने पर शेष हानि की पूर्ति निविदादाता की चल-अचल सम्पत्ति से की जावेगी । फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
11. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म का पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, GST चुकता प्रमाण पत्र, फर्म का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार साथ लगाना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

12. सफल निविदादाताओं को औषधियाँ माप, तोल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी।
13. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
14. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधि की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव इत्यादि देखा जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
16. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी औषधियों की पैकिंग जूट से बनी नई बोरियों में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें।
17. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।
18. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।
19. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा।
20. औषधियों की आपूर्ति टुकड़ों में स्वीकार नहीं होगी निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। विलम्ब से प्राप्त माल को पेनेल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान निदेशक महोदय को होगा। विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनेल्टी वसूल की जावेगी :-
  - (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत।
  - (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर / बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ति पृथक् से वसूली जावेगी ।

21. निविदा में अंकित दरें आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी। निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है।

22. एक वस्तु/औषध की एक से अधिक बार Non supply एवं Late supply पर प्रत्येक बार शास्ति लगेगी ।

23. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

24. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते ।

25. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी । यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

26. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म केन्द्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर निदेशक द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

27. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी । यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

28. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

**संयुक्त निदेशक (प्रशासन)**

मैंने /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं ।

**हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर**

**(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)**

उपरोक्त सभी कार्य कृष्णा फोन्ट (Krishna Font) में किया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर  
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)  
माधव विलास पैलेस  
आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)  
(रसायनशाला)  
ई-निविदा प्रपत्र

राशि : 1500/- डी.डी.

क्रमांक :

दिनांक :

प्रेषक फर्म का नाम व पता : .....  
.....  
.....

प्रेषिति :-

निदेशक  
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,  
जयपुर ।

विषय : आयुर्वेदिक जड़ी बूटी / कच्ची औषधियों एवं खनिजों की आपूर्ति हेतु ऑनलाईन ई-निविदा ।

महोदय,

विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान रसायनशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों एवं खनिजों की आपूर्ति हेतु अपना ई-निविदा प्रपत्र प्रेषित कर रहे हैं।

ई-निविदा प्रपत्र को भरने से पूर्व निविदा की शर्तों को सर्व प्रथम भली प्रकार से पढ़ कर समझ लेने के पश्चात ही ई-निविदा प्रपत्र को भरें।

1. निविदा के लिये आवश्यक धरोहर राशि जमा करवाने संबंधी विवरण निम्न प्रकार है :-  
अ. डिमाण्ड डाफ्ट क्रमांक ..... दिनांक..... राशि .....  
बैंक का नाम..... निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर  
के नाम संलग्न है।
2. निविदा का फार्म एवं निविदा की शर्तें <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं [www.nia.nic.in](http://www.nia.nic.in) पर उपलब्ध होगी।
3. धरोहर राशि एवं निविदा फार्म शुल्क "निदेशक", राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के नाम बैंक ड्राफ्ट में जमा करानी होगी । धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होंगे । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।

4. निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाईनेन्सियल बिड सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डी.डी. एवं फर्म का टर्नओवर, कार्य अनुभव तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने सम्बन्धित दस्तावेज तथा सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने **पृथक-पृथक से सील्ड पैकेट/कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य है।** तथा पैकेट/कार्टून पर “ **Tender for Raw drugs for Rasayanashala, NIA, for year 2020-21**” लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्राप्त टेक्नीकल बिड दिनांक ..... को सांय: 3.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी एवं सफल निविदादाताओं की फाईनेन्सियल बिड बाद में खोली जावेगी, जिसकी सूचना निविदादाताओं को पृथक से दे दी जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदादाताओं को 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा।
6. सफल निविदादाता को आदेशित मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की जमा धरोहर राशि सिक्क्यूरिटी राशि में समायोजित की जा सकेगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्क्यूरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
7. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर लौटाई जायेगी।
8. निविदादाता द्वारा शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा सिक्क्यूरिटी राशि को जब्त कर लिया जावेगा। निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता की धरोहर/सिक्क्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा एवं इससे भी शर्त के उल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति नहीं होने पर शेष हानि की पूर्ति निविदादाता की चल-अचल सम्पत्ति से की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
9. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म का पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, GST चुकता प्रमाण पत्र, फर्म का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार साथ लगाना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
10. सफल निविदादाताओं को औषधियों माप, तोल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी।

11. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा, जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
12. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधि की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव इत्यादि देखा जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
14. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी औषधियों की पैकिंग जूट से बनी नई बोरियों में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें।
15. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।
16. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।
17. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा।
18. औषधियों की आपूर्ति टुकड़ों में स्वीकार नहीं होगी, निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। विलम्ब से प्राप्त माल को पेनेल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान निदेशक महोदय को होगा। विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-

(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत।

(ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये

माल की कीमत का 10 प्रतिशत।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर / बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ति पृथक् से वसूली जावेगी ।

19. निविदा में अंकित दरें आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी। निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है।
20. एक वस्तु/औषध की एक से अधिक बार Non supply एवं Late supply पर प्रत्येक बार शास्ती लागेगी ।
21. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
22. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते ।
23. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी । यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्क्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
24. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर निदेशक द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
25. मैं / हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदा दाता

फर्म का नाम .....

पता/दूरभाष .....

.....

(रबड़ की मोहर लगावें)

उपरोक्त सभी कार्य कृष्णा फोन्ट (Krishna Font) में किया गया है।

अनुबन्ध-पत्र

1. यह करार आज दिनांक -----जो कि अनुमोदित वितरक कहलायेगा तथा जहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग आवेगा इसमें उसका उत्तराधिकारी निष्पादन एवं प्रशासक भी शामिल होगा एवं दुसरी ओर से निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जिसका की अर्थ प्रसंग आने पर कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी से होगा, के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूँकि अनुमोदित वितरक निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर पर माल भेजने पर सहमत हो गया है। अतः इसके संलग्न अनुसूची में वस्तुएं डाल दी गई हैं तथा इसकी दरों का उल्लेख अनुसूची के कॉलम 4 में किया गया है।
3. चूँकि अनुमोदित वितरक ने रूपये-----डी.डी/बैंकर चैक संख्या-----दिनांक -----जो अनुबन्ध के उचित परिपालन के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिये हैं।
4. वे साक्षियाँ प्रस्तुत करते हैं कि :-
  - a. एतद् संलग्न अनुसूची में दी गई दरों पर निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये किये जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुये अनुमोदित वितरक निविदा एवं संविदा की शर्तों में व दिये गये तरीकों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 व 3 में वर्णित उक्त वस्तुओं की कॉलम संख्या 5 में दी गई अवधि में उचित सप्लाई करेगा।
  - b. निविदा विज्ञापन संख्या ----- दिनांक ----- के साथ तथा अनुबन्ध के साथ भी संलग्न निविदा एवं संविदा की शर्तों को इस अनुबन्ध के एक भाग के रूप में समझा जावेगा, जो इस अनुबन्ध को करने वाली पार्टी द्वारा मान्य होगा।
  - c. निविदा दाता से प्राप्त पत्र, और संस्थान द्वारा जारी पत्र ----- दिनांक ----- जो इस अनुबन्ध के साथ संलग्न है इस अनुबन्ध पत्र के अंश होंगे।
  - d. संस्थान एतद् द्वारा इस बात पर सहमत होता है कि अनुमोदित वितरक उक्त तरीके से उपयुक्त माल की ठीक सप्लाई करेगा तथा उक्त शर्तों को ध्यान में रखेगा एवं उसका पालन करेगा तो संस्थान अनुमोदित वितरक को प्रत्येक प्रेषित माल की देय राशि का उक्त शर्तों में दिये समय पर एवं उसमें बताये गये ढंग से निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये भुगतान करेगा अथवा करायेगा।
5. भुगतान ऑन पीएफएमएस के माध्यम से होगा।
6. माल की सप्लाई शर्तों के अनुसार एक माह में करनी होगी।
7. यदि निविदा दाता आपूर्ति आदेश में उल्लेखित समय में माल उपलब्ध करवाने में असफल रहता है अथवा क्रय अधिकारी द्वारा परिनिर्धारित शास्ति के साथ आपूर्ति अवधि में वृद्धि करने की दशा में निम्नलिखित दर से आदेश अनुरूप सप्लाई किये जाने वाले सामान में से जिस मात्रा में से सामान सप्लाई किये जाने में जिस अवधि की असफलता रही है, उसके माल की कीमत के आधार पर निम्नानुसार वसूली की जावेगी।
  - (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत ।
  - (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत ।
  - (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर / बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ति पृथक् से वसूली जावेगी ।

टिप्पणी :-

1. सप्लाई के हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।
2. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता है तो व्यवधान उत्पन्न होते ही निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व होगा।
3. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तन से सम्बन्धित सभी प्रश्न निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पार्टियों द्वारा दिनांक ----- को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अनुमोदित वितरक के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक  
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

दिनांक -----

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

अनुसूची

क्र.सं.	नाम वस्तु/औषध	मात्रा	अनुमोदित दर प्रति किलो	आपूर्ति अवधि
1				